UGC का निर्देश : विश्वविद्यालय अपने कैंपस में प्लास्टिक बोतलों पर लगाएँ प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने कैंपस में प्लास्टिक के कप, लंच पैकेट, स्ट्रॉ, बोतल और थैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम की थीम पर आधारित हैं, जिसका आयोजन भारत द्वारा किया जाना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत, इस साल 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' के वैश्विक कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा।
- गौरतलब है कि पर्यावरण पर आयोजित किया जाने वाला यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा समारोह होता है।
- इस वर्ष, समारोह की थीम 'Beat Plastic Pollution' यानी 'प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ' है।
- पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्र तटों, प्रदूषित नदी तटों तथा झीलों की सफाई के लिये 19 टीमों का गठन भी किया है।

निर्देश

- UGC ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि 'कॉफी कप, डिस्पोजेबल प्लास्टिक पैकिंग लंच, प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल फूड सर्विस कप, प्लेट्स, पॉलीस्टीरीन फोम के बने कंटेनर और प्लास्टिक की स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाएँ'।
- UGC ने एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों को प्रतिबंधित करने और उसकी जगह दोबारा इस्तेमाल में लाने वाले बोतलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करें।
- विश्वविद्यालय में प्लास्टिक के निस्तारण से संबंधित जागरूकता फैलाई जाए।
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगरपालिकाओं में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाये।
- पर्यावरण मंत्रालय ने स्कूलों से भी प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने को कहा है।

विश्व पर्यावरण दिवस

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की घोषणा वर्ष 1972 में की थी। 5 जून, 1974 को पहली बार 'विश्व पर्यावरण दिवस' मनाया गया था।